भारत में शिक्षा प्रणाली का स्वरूप एवं सामाजिक संघर्ष

नरेश कुमार गौतम[1], रोहित कुमार[2]

[1]सहायक प्राध्यापक, समाज कार्य विभाग, आईसेक्ट विश्वविद्यालय, हजारीबाग (झारखण्ड) भारत

[2]परफार्मिंग एंड फाइन आर्ट, आईसेक्ट विश्वविद्यालय, हजारीबाग (झारखण्ड) भारत

सारांश

भारत में ज्ञान प्रणाली का स्वरूप बहुत पुराना, प्रतिष्ठित एवं ऐतिहासिक रहा है। वैदिक काल से बौद्ध काल तक शिक्षा के केंद्र गुरुकुल और विहार के तौर पर प्रसारित हुये, जिनका स्वरूप आज भी दिखाई देता है। लेकिन आजादी के बाद, भारत में शिक्षा प्रणाली के स्वरूप में बड़े बदलाव हुये। जिसका असर यह हुआ कि शिक्षा सभी वर्गों और समुदायों के लिए स्वतंत्र हो गई। वैसे इसकी शुरुआत तो लार्ड मैकाले के वक्त से ही कही जा सकती है। जब भारत में आधुनिक शिक्षा का प्रसार जोर शोर से हुआ। यह एक तरह की राजनीतिक चेतना का भी असर था क्योंकि यह वक्त भारत के स्वतंत्रता की ओर बढ़ने का पहला कदम भी माना जाता है। भारत में शिक्षा का परिवर्तन विभिन्न काल खंडों में देखा जा सकता है। लेकिन वर्तमान समय में शिक्षा का अस्तित्व कहाँ तक सार्थक हो पाया। साथ ही शिक्षा का सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति के साथ महामारी के वक्त हुये बदलाओं की स्थिति पर एक नजरिया पेश करने के साथ ही छात्रों का शिक्षा से Dropout या सामाजिक शिक्षाविद अनिल सदगोपाल की भाषा में कहा जाए तो Push out हुआ है। भारत में शिक्षा का मूल–भूत स्वरूप पश्चिमी ज्ञान प्रणाली पर आधारित है जबकि भारत में भौगोलिक भिन्नता और भाषा–बोली अलग–अलग है। इस प्रपत्र के माध्यम से शिक्षा की प्रमुख नीतियों के साथ वर्तमान में शिक्षा की प्रासंगिकता पर कई अनुत्तरित प्रश्नों की तलाश करने की कोशिश की गई है।

बीज वाक्य– शिक्षा प्रणाली, असमय विद्यालय छोड़ देना, बाहर निकाल दिया जाना, हाशिये के लोग, शिक्षा नीतियाँ, सामाजिक संघर्ष।

I प्रस्तावना

अगर शिक्षा के ऐतिहासिक काल खंड को देखा जाए तो इसके कई स्वरूप दिखाई देते हैं। वैदिक शिक्षा प्रणाली की रूपरेखा वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली से बहुत अधिक भिन्न थी। उस वक्त में गुरुकुल शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी। जिसमें खास समुदाय को ही शिक्षा ग्रहण करने की आजादी होती थी। यह पद्धति सामूहिक तौर पर स्वच्छंद नहीं थी। गुरुकुल शिक्षा प्रणाली प्राकृति आधारित शिक्षा व्यवस्था हुआ करती थी, जहाँ छात्रों (शिष्य) को गुरुकुल में रहना खाना और प्रकृति के साथ विचरण करना सिखाया जाता था क्योंकि यहाँ शिक्षा लेने वाले छात्र कुलीन घरों के हुआ करते थे। शिक्षा का उद्देश्य नैतिक ज्ञान के साथ शास्त्रीय ज्ञान जिसमें वह संस्कृत के साथ गणित और अर्थशास्त्र का ज्ञान प्राप्त करते थे। सारी शिक्षा प्रणाली प्रकृति और जीवन से घनिष्ठ रूप से जुड़ी हुई थी (कुमार, 2021)। जिनकी जड़ें आज भी वैदिक साहित्य में देखी जा सकती हैं पर वास्तव में, गुरुकुल में शिक्षा प्राप्त करना सभी के लिए आसान और सुलभ नहीं था। यह सिर्फ खास कुलीन वर्गों तक ही सीमित हुआ करता था। भारत में बौद्ध धर्म का उदय होने के बाद शैक्षणिक ज्ञान का अवसर और जीवन जीने के एक नए तरीके को सीखने का मार्ग प्रशस्त हुआ। (पृथ्वी, 2017) बौद्ध शिक्षा प्रणाली ने बहुत जल्दी लोकप्रियता हासिल की क्योंकि इस शिक्षा प्रणाली ने युवाओं को बहुत हद तक प्रभावित किया। भारत में धार्मिक विचारों के विकास के इतिहास में बौद्ध धर्म का इतिहास ईसा पूर्व छठी और सातवीं शताब्दी से शुरू होता है। यह युग जीवन और मृत्यु, ब्रह्मांड की प्रकृति और वस्तु की महान समस्याओं के समाधान और अस्तित्व की पहेली की व्याख्या करने वाले अंतिम कारण की खोज के लिए मानवीय तर्क के अनुप्रयोग के लिए उत्कृष्ट था। हालाँकि, बौद्ध शिक्षा आध्यात्मिक थी और यह पूरी तरह से धर्म से संतृप्त थी क्योंकि इसका मुख्य आदर्श निर्वाण या मोक्ष की प्राप्ति थी। बौद्ध भिक्षु मुख्य रूप से केवल धार्मिक पुस्तकों का अध्ययन करते थे। उनके अध्ययन का मुख्य विषय सुत्तंत, विनय और धम्म था। शिक्षा को प्राथमिक और उच्च शिक्षा जैसे दो भागों में वर्गीकृत किया गया था। प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य पढ़ना, लिखना है। उच्च शिक्षा में धर्म, दर्शन, चिकित्सा, सैन्य विज्ञान पढ़ाना शामिल था। विषय चुनने में जाति भेद ज्यादा नहीं था (पृथ्वी, 2017ए)। ये दो बुनियादी चीजें वैदिक शिक्षा और बौद्ध शिक्षा प्रणाली से जुड़ी थीं, वैदिक शिक्षा प्रणाली ने वर्ण व्यवस्था पर आधारित शिक्षा को बढ़ावा दिया, लेकिन बौद्ध शिक्षा सभी के लिए खुली थी। भारत में आधुनिक शिक्षा प्रणाली अंग्रेजों द्वारा 1830 लॉर्ड थॉमस मैकाले द्वारा (सामाजिक चिंतकों के आग्रह पर) लाई गई। जिसमें अंग्रेजी में शिक्षा देने का प्रावधान शामिल हुआ और पाठ्यक्रम को विज्ञान और गणित जैसे आधुनिक विषयों तक सीमित कर दिया गया। स्थानीय ज्ञान को सिरे से खारिज किया जाने लगा (कुमार, 2021)। साथ ही तत्वमीमांसा और दर्शन जैसे विषयों को बेमानी माना जाने लगा था । लॉर्ड मैकाले भारतीय शिक्षा प्रणाली के इतिहास में पहले व्यक्ति थे, जिन्होंने वित्तीय संसाधनों को शैक्षिक गतिविधियों का केंद्र बनाया। हालांकि मैकाले की शिक्षा प्रणाली में एक साथ कई विरोधाभास भी थे, जिसने स्थानीय भाषा के बजाय अंग्रेजी भाषा को बढ़ावा दिया।

स्वतंत्रता के बाद भारत ने अपना स्वतंत्र संविधान और राष्ट्र के विकास के मानदंडों को तय करने के लिए अपने स्वयं के प्रतिनिधियों को सुनिश्चित किया और राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली में बदलाव के साथ एक राष्ट्रीय ढाँचा तैयार करने का प्रयास शुरू किया गया। जनवरी 1948 में अखिल भारतीय शिक्षा सम्मेलन के उद्घाटन सत्र के दौरान भाषण में, जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि ''देश में कई महान परिवर्तन हुए जिस कारण शिक्षा प्रणाली में भी क्रांतिकारी बदलाव होना चाहिए।'' (थामारसेरी और कृष्णन, 2017) मौलाना अब्दुल कलाम आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे और उन्होंने एक समान शिक्षा प्रणाली के साथ पूरे देश में शिक्षा पर केंद्र

सरकार के मजबूत नियंत्रण की परिकल्पना की थी। जवाहरलाल नेहरू ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थानों जैसे उच्च गुणवत्ता वाले वैज्ञानिक शिक्षा संस्थानों के विस्तार को बढ़ावा दिया और वर्ष 1961 में केंद्र सरकार ने एक स्वायत्त संगठन के रूप में राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) का गठन किया गया, जो शिक्षा नीतियों का मसौदा तैयार करने उन्हें लागू करने पर केंद्र और राज्य सरकारों को सलाह देगा। भारत ने समय–समय पर शैक्षिक नीतियों की दिशा में कई कदम उठाए हैं, जैसे विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग (1948–1949), माध्यमिक शिक्षा आयोग (1952–1953), विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और कोठारी आयोग (1964–66), नई राष्ट्रीय नीति शिक्षा पर (1986), और शिक्षा का अधिकार नीति (2009) आदि शामिल हैं । 2020 में नई शिक्षा नीति पारित की गई।

II उद्देश्य और प्रविधि

इस प्रपत्र के माध्यम से मूल रूप से यह समझने की कोशिश की गई है कि स्वतंत्र भारत में शिक्षा के मूलभूत ढ़ाचे में इतने अधिक बदलाव होने के बावजूद भारत का एक तबका शिक्षा से वंचित हैं। जहाँ शिक्षा को सबसे मजबूत बनाने की कोशिश की जानी चाहिए थी और स्थानीय भाषा के साथ शिक्षा के प्रारंभिक ज्ञान के वितरण प्रणाली पर जोर देने के बजाए अंग्रेजी भाषा के माध्यम से शिक्षा पर जोर दिया जाता है। स्थानीय ज्ञान को शिक्षा से खारिज किया जाता रहा है। उसका नतीजा आज यह दिखाई देता है कि स्कूलों से लगातार बच्चों का ड्रॉपआउट हो रहा है, जिसके कारण सामाजिक संघर्ष पैदा हुआ है। उन्ही कारणों की पड़ताल के साथ विभिन्न शिक्षा नीतियों की समीक्षा की गई है। साथ ही विभिन्न पत्र–पत्रिकाओं के शोध पत्रों, जर्नल लेखों, रिपोर्टों, वेबसाइटों और पुस्तकों का उल्लेख करते हुए वर्तमान समय में निहित अन्य कारणों की तलाश की गई है।

III भारत में शिक्षा नीतियां

स्वतंत्रता से पहले, ब्रिटिश सरकार ने भारत में प्रारंभिक शिक्षा प्रणाली की स्थिति में सुधार के लिए कई शिक्षा से जुड़ी योजनाएँ बनायी गयी। हालाँकि भारतीय शिक्षा प्रणाली में भारतीय सुधारकों द्वारा किए गए योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उनकी शैक्षिक योजनाएँ और सुझाव इतने स्तरों में ब्रिटिश नीतियों से भिन्न थे। एक नई भारतीय शिक्षा प्रणाली का शिलान्यास गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा किया गया था, जिन्होंने 9 मार्च 1910 को शिक्षा विधान परिषद में एक प्रस्ताव पेश करके पहला कदम उठाया था। इस परिषद में कहा गया था, कि ''यह परिषद सिफारिश करती है कि प्रारंभिक शिक्षा को पूरे देश में मुफ्त और अनिवार्य तौर पर लागू किया जाए और निश्चित प्रस्तावों को तैयार करने के लिए अधिकारियों और गैर–अधिकारियों का एक मिश्रित आयोग जल्द से जल्द नियुक्त किया जाए।'' (थामारसेरी और कृष्णन, 2017)

IV कोठरी आयोग की सिफारिशें

कोठारी आयोग (1964–66): कोठारी आयोग ने राष्ट्रीय विकास की दिशा में शिक्षा की नई अवधारणा पेश की। कोठारी आयोग का मत था कि विभिन्न सामाजिक समूहों को एक साथ लाना शिक्षा प्रणाली की जिम्मेदारी है। आयोग ने शिक्षा में सुधार के लिए 23 सिफारिशें रखी थीं। आयोग की कुछ महत्वपूर्ण सिफारिशें थीं, गैर–हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा को बढ़ावा देने के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए मुफ्त अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान, लड़कियों, सामाजिक तौर पर पिछड़े वर्गों, आदिवासियों और शारीरिक मानसिक रूप से विकलांग बच्चे की शिक्षा पर ध्यान केंद्रित करके सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना था। राष्ट्रीय स्तर पर शिक्षा प्रणाली को कोठारी आयोग द्वारा अनुशंसित 10:2:3 पैटर्न में संबद्ध किया गया। आयोग की स्थापना भारत सरकार द्वारा 14 जुलाई 1964 को विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के तत्कालीन अध्यक्ष दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में की गई थी। आयोग ने 29 जून 1966 को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इसकी सिफारिशों को भारत की पहली राष्ट्रीय नीति में शामिल किया गया था। (एडुग्यान, 2017)।

V राष्ट्रीय शिक्षा नीति

राष्ट्रीय शिक्षा नीति (1968): 1968 में स्थापित राष्ट्रीय शिक्षा नीति, भारत की स्वतंत्रता के बाद भारतीय शिक्षा के इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम है। इसका उद्देश्य राष्ट्रीय प्रगति, सामान्य नागरिकता और संस्कृति की समझ और मजबूत राष्ट्रीय एकीकरण था। भारत सरकार ने तदनुसार इन सिद्धांतों के साथ देश में शिक्षा के विकास को बढ़ावा देने का संकल्प लिया, 14 साल तक के सभी बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा, शिक्षकों की स्थिति पर ध्यान देना और शैक्षिक अवसरों को समान बनाना था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति को बहुत सकारात्मक तरीके से पेश किया गया था लेकिन इसकी कई सिफारिशें धन और संसाधनों की कमी के कारण लागू नहीं हो सकीं। बाद में भारत सरकार ने नई शिक्षा नीति पेश की जिसे 1986 में संसद द्वारा पारित किया गया था।

नई शिक्षा नीति (1986): नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी), 1986 को दूसरी राष्ट्रीय शिक्षा नीति माना जाता है। एनईपी ने पहुंच, गुणवत्ता, मात्रा, उपयोगिता और वित्तीय परिव्यय की समस्याओं की गणना करने का प्रयास किया। इस नई नीति ने विशेष रूप से भारतीय महिलाओं, अनुसूचित जनजातियों और अनुसूचित जाति समुदायों (पाल, 2021) के लिए ''असमानताओं को दूर करने और शैक्षिक अवसर को समान करने पर विशेष जोर दिया।'' एनईपी ने 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड का भी नेतृत्व किया, जिसका उद्देश्य प्राथमिक विद्यालयों के बुनियादी ढांचे को मजबूत करना और उन्हें सीखने के लिए स्वस्थ स्थान बनाना था। इस नीति को भी 1992 में संशोधित किया गया था और 7 मई 1992 को संसद में पेश किया गया था (थामारसेरी और कृष्णन, 2017बी)।

बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009: बच्चों का मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम को शिक्षा का अधिकार अधिनियम (RTE अधिनियम) 2009 के रूप में जाना जाता है। RTE को अगस्त 2009 में लागू किया गया था, जो लागू हुआ 01 अप्रैल 2010 को। यह अधिनियम एक विस्तृत और व्यापक कानून था, जिसमें स्कूलों के शिक्षकों से संबंधित प्रावधान और विभिन्न हितधारकों के कर्तव्यों और जिम्मेदारियों के विशिष्ट विभाजन शामिल थे। इस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषताएं हैंय 6 से 14 वर्ष तक की आयु के प्रत्येक बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार, किसी भी बच्चे को शारीरिक दंड या मानसिक उत्पीड़न का शिकार नहीं होना पड़ेगा, और किसी भी बच्चे को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक रोका या निष्कासित नहीं किया जाएगा (थामारसेरी और कृष्णन, 2017सी)।

भाषा नीतिः एनडीए सरकार ने 2019 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार किया, जिसमें सभी राज्यों के स्कूलों में हिंदी को अनिवार्य भाषा के रूप में पढ़ाने की सिफारिश की गई थी। लेकिन गैर–हिंदी राज्यों, विशेष रूप से दक्षिण भारतीय राज्यों ने इस निर्णय का स्वागत नहीं किया और इसका विरोध किया। नीति को संशोधित करें। मसौदे को संशोधित किया गया और एक त्रिभाषा नीति पेश की गई, जिसमें यह कहा गया कि उन राज्यों पर हिंदी नहीं थोपी जाएगी, जो इसे अनिवार्य नहीं बनाना चाहते हैं। लेकिन नीति इस बात की वकालत करती है कि प्रत्येक बच्चे को अब तीन भाषाएँ सीखनी चाहिए जैसे अंग्रेजी, मातृभाषा और दूसरे राज्य की एक और भाषा (शेफर्ड, 2019)।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020: राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP) 30 जुलाई, 2020 को जारी की गई । मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने जून 2017 में डॉ के. कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक समिति का गठन किया था। समिति ने मई 2019 में सार्वजनिक परामर्श के लिए एक मसौदा प्रस्तुत किया। जिसका मुख्य उद्देश्य 2030 तक स्कूली शिक्षा में 100% नामांकन अनुपात के साथ पूर्व–विद्यालय से माध्यमिक स्तर तक शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना और 2025 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाना है। स्कूल की 10 + 2 संरचना पाठ्यक्रम को क्रमशः 3–8, 8–11, 11–14 और 14–18 वर्ष की आयु के अनुरूप 5+3+3+4 पाठ्यचर्या संरचना द्वारा बदला जाएगा। यह 2035 तक उच्च शिक्षा में सकल नामांकन अनुपात को 50% तक बढ़ाने के साथ–साथ उच्च शिक्षा में 3.5 करोड़ सीटों को जोड़ने की भी योजना बना रहा है। नीति में लचीले पाठ्यक्रम, विषयों के रचनात्मक संयोजन, व्यावसायिक शिक्षा के एकीकरण और कई प्रविष्टियों और उपयुक्त प्रमाणन के साथ निकास बिंदुओं के साथ बहु–अनुशासनात्मक, समग्र स्नातक शिक्षा की आधारशिला प्रस्तुत करती है।

स्नातक शिक्षा 3 या 4 साल की हो सकती है, जिसमें निकास के कई विकल्प उपलब्ध हैं। छात्र जीतने समय तक पढ़ाई करता है। उसके अनुकूल उसे प्रमाण पत्र जारी किया जाएगा (नेटवर्क, 2021)। साथ ही राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद (NCERT) जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा तैयार करता है। एनसीईआरटी के अलावा, सभी राज्यों में उनके समकक्ष हैं जिन्हें स्टेट काउंसिल फॉर एजुकेशनल रिसर्च एंड ट्रेनिंग (एससीईआरटी) कहा जाता है। वे ऐसे संस्थान हैं जो राज्य के शिक्षा विभागों को शैक्षिक रणनीतियों, पाठ्यक्रम, शैक्षणिक योजनाओं और मूल्यांकन पद्धतियों की सिफारिशें करते हैं। (SCERT) ज्यादातर NCERT द्वारा स्थापित दिशानिर्देशों का पालन करते हैं। लेकिन राज्यों को शिक्षा प्रणाली को लागू करने की व्यापक स्वतंत्रता है। वह अपने अनुकूल शिक्षा प्रणाली को लागू कर सकते हैं (कुमार, 2021) ।

VI ड्रॉप आउट

पिछले कई दशकों के आँकड़ों पर नजर डाली जाए तो बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में कमी आयी है। जबकि यह आंकड़ें बढ़ने चाहिए थे। जबकि पिछले 10 सालों में शिक्षा का बजट (2006–2016) 3.6 मिलियन डॉलर से बढ़कर 4.6 मिलियन डॉलर हो गया। लगातार शिक्षा प्रणाली में बदलाव किए जा रहे हैं। बावजूद इसके लगातार शिक्षा में गिरावट के साथ बच्चों का असमय स्कूल छोड़ने का औसत लगातार बढ़ता जा रहा है। यहाँ असमय स्कूल छोड़ने के निम्न कारणों पर ध्यान आकर्षित करूँगा और बाद में यही कारण सामाजिक संघर्ष का कारण भी बनते हैं।

जागरूकता की कमी
विद्यालय में आधारभूत संरचना की कमी
शिक्षकों की कमी और
लोगों के मन में सरकारी स्कूलों के प्रति नकारात्मक भावना
सरकारी स्कूलों की खराब गुणवत्ता
शौचालय की कमी–
यातायात के साधनों की कमी–
आजीविका बन रही है राह में रोड़ा–
पलायन–
सरकारी स्कूलों की खराब गुणवत्ता
बाल मजदूरी–
राज्यवार ड्राप आउट के आंकड़ें
उत्तर प्रदेश – 7.08%
मध्य प्रदेश – 10.14%
असम – 7.44%
मिजोरम – 12.96%
मेघालय – 10.34%

VII विमर्श

सैद्धांतिक तौर पर शिक्षा व्यवस्था को वर्गीकृत रूप में देखें, तो यह दो रूपों में हमारे सामने दिखाई देती है। एक तो कन्टेन्ट के रूप में, दूसरा पद्धति के रूप में। जहाँ कन्टेन्ट लेबल पर छात्रों की क्या पढ़ाया जाता है जैसे उदाहरण के तौर पर देखा जाए तो । for apple यानि सेब ! लेकिन सेब हर समाज की चीज नहीं आदिवासी समाज में सेव नहीं खाया जाता है या वहाँ इसकी उपलब्धता नहीं है। सेब एक खास वर्ग की ओर इशारा करता है। जबकि इसे वहाँ के लोकल चिन्हों प्रतीकों के साथ पढ़ाया जा सकता है। लेकिन हमारी शिक्षा व्यावस्था में ऐसा नहीं है। शिक्षा मूल मंत्र ज्ञान हासिल करना शायद नहीं है बल्कि सभ्य बनाना यानि एक खास तरह की मानसिकता में

बदल देना (उसका उठना, बैठना बात करना, बोलना आदि सिखाया जाता है) ।

भारत में शिक्षा पूर्ण रूप में पश्चिमी ज्ञान पर आधारित है चाहे भाषा के आधार देखें या फिर पाठ्यक्रम के आधार पर। लेकिन दूसरी तरफ शिक्षा के भारतीय कारण पर लगातार जोर दिया जा रहा है। बशर्ते वहीं की कहानियों को वहीं के सिद्धांतों (प्लेटो या फ्राइड) को पढ़ाया जा रहा है। हमारे पास कोई चिंतक नहीं है। ओडीपस के सिद्धांत में जो ओडिपस, वह हमारे यहाँ भीष्म भी हो सकता है।

हमारी सामाजिक व्यवस्था में कोई पढ़ा लिखा व्यक्ति हीरों नहीं होता। सैद्धांतिक भाषा में बोला जाए तो पढ़ाई लिखाई का कोई नायकत्व नहीं होता। नायकत्व देखा जाता है ऐसे व्यक्ति में जो एंग्रीयंग मैन हो। इसके पीछे बहुत से सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण शामिल हैं। क्योंकि हमारी सामाजिक व्यवस्था में जिसका जो काम है। वह अपना काम छोड़ के सारे काम करता है। लोकतंत्र की रक्षा करने वाला उसे कुचलने पर लगा है। न्याय करने वाला न्याय के अलावा सब काम कर रहा है। नेता पुलिस का काम करती है पुलिस नेता का और यही हमारी शिक्षा प्रणाली में छुपे हुये संघर्ष का कारण बनाता है।

कोविड–19 के बाद शिक्षा में बहुत अधिक बदलाव दिखाई देते हैं। आज घर बैठे जहाँ चाहे वहाँ शिक्षा प्राप्त की जा सकती है। लेकिन हमारे देश की भौगोलिक एवं सामाजिक संरचना पर एक नजर डाली जाए, तो बहुत सी भिन्नता दिखाई देती है। जिसके कारण बहुत से छात्रों की पढ़ाई भी प्रभावित हुई है। छात्रों की पढ़ाई का नुकसान न हो इसलिए ऑनलाइन कक्षाओं का एक विकल्प सामने आया है। किन्तु यह भारत में कितना कारगर साबित होगा यह जानना भी जरूरी है। कुछ आँकड़ों पर यदि ध्यान दिया जाये तो हकीकत के बहुत से पहलू सामने दिखाई देते हैं। 'स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया' की रिपोर्ट के अनुसार, 80% लोग प्रति माह रु.10 हजार से कम कमाते हैं। यानी, यदि कोई इससे ज्यादा कमाता है, तो वह देश के टॉप 20% में आएगा। विश्व बैंक के वर्ल्ड डेवलपमेंट इंडिकेटर्स के अनुसार, 76% लोग असुरक्षित रोजगार में लगे हुए थे। वहीं ग्लोबल फाइनैंशियल इंक्लूजन इंडेक्स 2017 के अनुसार, देश में केवल 17% के पास स्मार्टफोन हैं। अन्य कुछ अध्ययनों के मुताबिक देश की लगभग एक तिहाई जनसंख्या के पास स्मार्टफोन हैं। यह आँकड़े यदि ठीक मान भी लिए जाये तो और बहुत से पेंच हैं। ऑनलाइन शिक्षा भी एक तरह का ड्रॉप आउट का कारण बनता दिखाई देता है।

VIII निष्कर्ष

हाल के वर्षों में कई देशों ने छात्रों के स्कूल छोड़ने की समस्या का समाधान किया है और छात्रों के शैक्षिक संस्थानों से बाहर होने के कारणों और समस्याओं पर ध्यान देना शुरू कर दिया गया है। लेकिन यह कहाँ तक सार्थक साबित होंगे इसके कोई खास आँकड़े हमारे पास उपलब्ध नहीं हैं। एक तरफ हमारी सरकारी शिक्षा व्यवस्था प्रणाली है, तो दूसरी तरफ गैर–सरकारी स्कूलों की बढ़ती संख्या (मार्डेन एजुकेशन) । यही कारण हैं कि भारत में कमजोर सामाजिक–आर्थिक पृष्ठभूमि से संबंधित छात्रों के स्कूल छोड़ने की प्रवृत्ति अधिक दिखाई देती है। एक सरकारी रिपोर्ट के आँकड़ो को यदि देखा जाए तो माध्यमिक स्तर पर ड्रॉपआउट बच्चों का अनुपात 17.06 प्रतिशत है। महामारी ने सीमांत पृष्ठभूमि के छात्रों को भी इस तरह प्रभावित किया है कि वे साल भर लॉकडाउन के दौरान ऑनलाइन कक्षाओं में शामिल होने के लिए स्मार्टफोन का खर्च नहीं उठा सकते हैं। महामारी का परिदृश्य आर्थिक स्थिति से भी जुड़ा है, जो कमजोर वर्गों के छात्रों को प्रभावित करता है। भारतीय संदर्भ में, ज्यादातर कमजोर आर्थिक पृष्ठभूमि के छात्र कमजोर सामाजिक श्रेणियों के हैं। साथ ही शैक्षणिक सरकारी संस्थानों की उदासीनता भी है कि भारत के पास इतना बड़ा सिस्टम होने बाद भी शिक्षा व्यवस्था की बदहाल हालत के लिए कहीं न कहीं हमारी लोकतांत्रिक व्यवस्था जिम्मेदार है और परिणाम सामाजिक संघर्षों के रूप में हमारे सामने दिखाई देते हैं।...

संदर्भ सूची

[1] Admin. (2017, March 15). *Main Recommendations of "Education commission" (Kothari commission) (1964-1966)* . Retrieved from edugyan: http://www.edugyan.in/2017/02/education-commission-or-kothari.html

[2] Bhaskar, A. (2020, 5 6). *Macaulay's View of Western Superiority Still Holds Back the Indian Education System*. Retrieved from The wire: https://thewire.in/education/lord-macaulay-superior-view-western-hold-back-indian-education-system

[3] Chugh, S. (2011). *Dropout in Secondary Education: A Study of Children Living in Slum of Delhi.* New Delhi: National University of Educational Planning and Administration.

[4] Gulankar, A. C. (2020, September 14). *Over 62% of dropouts in education happens at school level*. Retrieved from The Federal: https://thefederal.com/news/over-62-of-dropouts-in-education-happens-at-school-level/

[5] Hindu, T. (2021, January 18). *School dropout rate falls to 0.11%*. Retrieved from The Hindu: https://www.thehindu.com/news/national/kerala/school-dropout-rate-falls-to-011/article33601193.ece#:~:text=As%20per%20the%20MHRD%20report,said%20quoting%20the%20Economic%20Review.

[6] Kumar, D. V. (2021, June 02). *The Education System in India*. Retrieved from The GNU Operating System: https://www.gnu.org/education/edu-system-india.en.html#:~:text=The%20school%20system%20in%20India,and%20higher%20secondary%20into%20two.

[7] Menon, S. (2020, November 18). *Education in India needs an overhaul*. Retrieved from idr: https://idronline.org/state-of-school-education-india-pre-covid/?gclid=Cj0KCQjw0emHBhC1ARIsAL1QGNcGv5jOJCHDshu6PKnGRUuN2Tmqp7CY5kKs_o1APePOqnnd5ncIjpUaAov7EALw_wcB

[8] Network, C. (2021, June 11). *Key features of India's National Education Policy 2020*. Retrieved from indiacsr: https://indiacsr.in/key-features-of-indias-national-education-policy-2020/

[9] Pal, D. R. (2021, June 10). *National Education Policy 1986*. Retrieved from epg pathshala: http://epgp.inflibnet.ac.in/epgpdata/uploads/epgp_content/S000455SM/P001612/M018919/ET/1493722301QuadrantI.pdf

[10] Pruthi, R. (2017). *Education in Ancient India.* New Delhi: Sonali Publications.

[11] Shepherd, K. I. (2019, June 10). *Language Policy: Education in English Must Not Be the Prerogative of Only the Elites*. Retrieved from The Wire: https://thewire.in/education/english-medium-schools-new-education-policy

[12] Thamarasseri, I., & Krishnan, D. K. (2017). *Contemporary Concern in India Education.* New Delhi: Wisdom Press.